जे.पी.आर.5–840

विद्युत पैकेज संख्या–10, 11 व 12 दिनांक 18.02.2017

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
*ईमेल – **se_comml@yahoo.in***

क0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी–।/एफ. /प्रे0 **2588** जयपुर, दिनांक–**20.02.2017**

आदेश

विषयः– कृषि श्रेणी में बढाई गई बिजली दरों को वापस लेने के संदर्भ में।

विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.09.2016 के द्वारा विद्युत दरों में बढोतरी की गई थी, जो कि 01 सितम्बर, 2016 के पश्चात् किये गये उपभोग पर लागू थी। तदानुसार 01 सितम्बर, 2016 के पश्चात् के उपभोग पर सभी श्रेणीयों के उपभोक्ताओं को नई दरों से विद्युत विपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया था। तद्नानुसार कृषि श्रेणी में निम्नलिखित विद्युत दरों के अनुसार विद्युत बिल जारी किये जा रहे थे :

कृषि श्रेणी	01 सितम्बर, 2016 से लागू पूर्व विद्युत दरें		
	नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर	राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान	उपभोक्ताओं द्वारा वहन विद्युत दर
मीटर श्रेणी	रू. 4.75 प्रति युनिट	रू. 3.60 प्रति युनिट	रू. 1.15 प्रति युनिट
फ्लैट रेट श्रेणी	रू. 635 प्रति एच.पी प्रति माह	रू. 515 प्रति एच.पी. प्रति माह	रू. 120 प्रति एच.पी. प्रति माह

Desktop/San/JPR

राज्य सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए पूर्व की दरों को ही यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय की पालना में सामान्य श्रेणी (ब्लॉक सप्लाई) के कृषकों को निम्नानुसार बिल जारी करने के आदेश प्रसारित किये जाते है :

कृषि श्रेणी	01 सितम्बर, 2016 से लागू विद्युत दरें		
	नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर	राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान	उपभोक्ताओं द्वारा वहन विद्युत दर
मीटर श्रेणी	रू. 4.75 प्रति युनिट	रू. 3.85 प्रति युनिट	रू. 0.90 प्रति युनिट
फ्लैट रेट श्रेणी	रू. 635 प्रति एच.पी प्रति माह	रू. 550 प्रति एच.पी. प्रति माह	रू. 85 प्रति एच.पी. प्रति माह

जिन कृषि उपभोक्ताओं ने 01 सितम्बर,2016 से अब तक बढ़ी हुई दरों विद्युत बिल जमा करा दिये है, उनके द्वारा जमा कराई गई अतिरिक्त राशि का समायोजन आगामी बिलों में किया जायेगा। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से

20/2/17

(के.के. पुरोहित)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

Desktop/San/JPR